मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन)

सूचना का अधिकार
अधिनियम –2005 के अंतर्गत
16 बिन्दुओं पर आधारित विभागीय
जानकारी

बिन्दु क्र. 1– परिचय :

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत इस अधिनियम की उद्देशिका में संवेदनशील जानकारी/सूचना की गोपनीयता परिरक्षित रखने और नागरिकों में लोक हितों को अक्षुण्ण रखने तथा लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानने में संभावित संघर्ष को वास्तविक व्यवहार की पद्यति पर दूर रखते हुए सामंजस्य बिठाने के यह अधिनियम लाया गया है।

यह अधिनियम की धारा–1 की उपधारा–3 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति 15 जून 2005 को होने के पश्चात 21 जून 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–2 खण्ड एक पार्ट –2, अनुभाग–1 दिल्ली, में प्रकाशित होने के तत्काल प्रभाव से इसकी धाराएं, धारा 4 की उपधारा–1 तथा धारा–5 की उपधारा–1 और 2, धाराएं 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 लागू हो गई थी। शेष धाराएं इसके अधिनियमित होने के 120 दिन में प्रवृत्त हो गई है। मध्यप्रदेश में यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ।

बिन्दु क्र. 2– उददे्श्यः

- नये संक्रमणों की रोकथाम।
- ज्यादा से ज्यादा एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को देखभाल, सहायता एवं उपचार उपलब्ध कराना।
- राज्य, जिला एवं राष्ट्रीय सेवाओं का सुदृढीकरण करना।
- रणनीतिक सूचना प्रबंधन पद्धति का विकास।
-

समिति का ध्येय :

आगामी पांच वर्षो में एच.आई.वी. संक्रमण को बढने से रोकना तथा वर्तमान संक्रमकता को कम करना।

इतिहास :

भारत में एच.आई.वी./एड्स का पहला रोगी वर्ष 1986 में चेन्नई (मद्रास) में प्रतिवेदित हुआ था, तब से लेकर अब तक की इस अवधि में एच.आई.वी./एड्स हमारे देश के लोगों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बन गया है। मध्यप्रदेश में एड्स का पहला मामला वर्ष 1988 में प्रतिवेदित हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं जन सामान्य को एच.आई.वी./एड्स की जानकारी देने के लिए दिनांक 14 जुलाई 1998 को मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का गठन किया गया। यह समिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुरूप एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण संबंधी गतिविधियों को प्रदेश में संचालित करती है। एच.आई.वी/एड्स एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे संयुक्त रूप से तब ही नियंत्रण किया जा सकता है जब एच.आई.वी./एड्स से बचाव की रणनीतियों के मामले में जन समुदाय, स्वयं सेवी संस्थाओं और सरकारी क्षेत्रों के बीच समन्वय हो और वे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए अपने–अपने क्षेत्रों से जुड़े कार्यकलापों में इसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने, समिति इसके लिए सतत प्रयासरत है।

समिति के कर्तव्य एवं मुख्य कृत्य :

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- एच.आई.वी की जॉच एवं परामर्श तथा एड्स रोगियों को ए.आर.टी. उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाना।

समिति द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं संक्षिप्त विवरण :

क्र.	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
1.	सेंटीनल सर्वेलेंस	प्रदेश में एच.आई.वी. संक्रमण की दर को ज्ञात करने के लिए एक निश्चित समय अंतराल में प्रतिवर्ष चयनित स्थानों पर निर्धारित संख्या में रक्त नमूनों को एकत्रित किया जाता है तथा प्राप्त रक्त नमूनों में एच.आई.वी. संक्रमण की जॉच की जाती है। ये रक्त नमूने असंबद्ध एवं

क्र.	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
		अज्ञात प्रतिदर्श प्रणाली से एकत्रित किए जाते है।
2.	यौन रोग जॉच एवं उपचार	लोगों में यौन रोग होना सामान्य बात है। यौन रोगों की जॉच एवं उपचार के लिए प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में यौन जनित रोग निदान केन्द्र (एस.टी.डी. क्लीनिक) संचालित किए गये है। जहा पर रोगियो को निःशुल्क उपचार एवं दवाईयां प्रदान की जाती है।
3.	कण्डोम प्रोत्साहन गतिविधियॉ	एच.आई.वी संक्रमण के साथ ही यौन जनित संक्रमणों एवं अनचाहे गर्भ से निदान हेतु निःशुल्क निरोध का वितरण प्रदेश के चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालयों, आई.सी.टी.सी., एस.टी.डी.क्लीनिक इसके साथ ही लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं के माध्यम से वितरित किए जाते है।
4.	अशासकीय संस्थाओं की भागीदारी	उच्च जोखिम समूह को एच.आई.वी./एड्स संक्रमण के खतरों से बचाने के लिए स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही है।
5.	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	रक्त ही जीवन का आधार है। अतः प्रदेश में रक्त के एकत्रीकरण और भण्डारण का कार्य लाइसेंसीकृत रक्तकोषों द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में स्थित रक्तकोष राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है।
6.	सूचना, शिक्षा संचार गतिविधियॉ	सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स से बचाव संबंधी जानकारी व्यापक स्तर पर सामान्य जन को दी जा रही है। प्रचार–प्रसार मुद्रित माध्यम एवं दृश्य, श्रव्य संचार माध्यमों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से दी जा रही है।
7.	एकीकृत परामर्श एवं जॉच केन्द्र	एच.आई.वी./एड्स का परामर्श एवं जॉच के लिए प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में एकीकृत परामर्श एवं जॉच केन्द्र स्थापित किए गये है,इन केन्द्रों पर व्यक्ति को निःशुल्क परामर्श एवं

क्र.	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
		उसकी लिखित सहमति से एच.आई.वी. जॉच की जाती है।
8.	पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्र	संक्रमित मॉ से होने वाले शिशु को भी एच.आई.वी. संक्रमण की आशंका होती है ऐसे माता–पिता से होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ पेरेंटस टू चाइल्ड ट्रांसमिशन केन्द्र प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित है।
9.	एन्टी रेट्रोवायरल उपचार सुविधा	एच.आई.वी./एड्स के रोगियों को चिकित्सक के परीक्षण एवं सलाह के आधार पर ए.आर.टी. की दवाईयॉ निःशुल्क दी जाती है। यह केन्द्र प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल में संचालित है।
10.	प्रशिक्षण	एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ–साथ लैब तकनीशियन, परामर्शदाताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससें इस महामारी की रोकथाम में मद्द हासिल हो सके।
11.	अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय	इसके अंतर्गत शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, कार्पोरेट निकायों आदि के बीच बहुआयामी सहयोग हेतु समन्वय के सतत प्रयास किए जा रहे है, जिससे एड्स पीड़ितों की देखभाल एवं एच.आई.वी./एड्स के सामाजिक, आर्थिक प्रभावों को कम किया जा सके।
12.	अवसरवादी संक्रमण / पी.ई.पी	प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में अवसरवादी संक्रमण एवं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की दवाईयॉ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

समिति का संगठनात्मक ढ़ाचाः

क्रमांक	पद नाम	कुल पद

क्रमांक	पद नाम	कुल पद
1	परियोजना संचालक	1
2	अतिरिक्त परियोजना संचालक	1
बेसिक सर्विस डिविजन		
1	संयुक्त संचालक (बेसिक सर्विसेस)	1
2	उप संचालक (एस.टी.डी.)	1
3	सहायक संचालक (एस.टी.डी.)	1
4	उपसंचालक (आई.सी.टी.सी.)	1
5	सहायक संचालक (आई.सी.टी.सी.)	1
रक्त सुरक्षा डिविजन		
1	संयुक्त संचालक(ब्लड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी एश्योरेंस)	1
2	उप संचालक (क्वालिटी एश्योरेंस)	1
3	सलाहकार (स्वैच्छिक रक्तदान)	1
4	टेक्नीनिकल एसोसिएट(बी.एस.)	1
5	क्वालिटी मैनेजर	2
केयर, सपोर्ट एवं ट्रीटमेन्ट डिविजन		
1	संयुक्त संचालक (सी.एस.टी.)	1
2	उप संचालक (सी.सी.सी.)	1
3	सहायक संचालक (नर्सिंग)	1
4	सलाहकार (सी.एस.टी.)	1
मॉनिटरिंग इव्हेलूवेशन एवं सर्वेलेन्स डिविजन		
1	उपसंचालक (एम एण्ड ई एवं सर्वेलेन्स)	1
2	इपिडेमियोलॉजिस्ट	1
3	मॉनिटरिंग एवं इव्हेलूवेशन ऑफिसर	1
4	सांख्यिकी अधिकारी	1
5	सांख्यिकी सहायक/कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
टी.आई. डिविजन		
1	संयुक्त संचालक (टी.आई.)	1
2	सहायक संचालक (टी.आई)	1

क्रमांक	पद नाम	कुल पद
आई.ई.सी. मेनस्ट्रिमिंग डिविजन		
1	संयुक्त संचालक (आई.ई.सी.)	1
2	उपसचांलक (आई.ई.सी.)	1
3	सहायक संचालक (डक्यूमेन्टेशन पब्लिसिटी)	1
4	जीपा को–आर्डिनेटनर	1
5	सलाहकार (युवा मामले)	1
6	सलाहकार (सिविल सोसायटी मेनस्ट्रिमिंग)	1
एडमिनीस्ट्रेशन डिविजन		
1	एडमिन असिस्टेन्ट	1
2	पर्सनल आसिटेन्ट	2
3	ऑफिस आसिटेन्ट (एल.डी.सी.)	1
4	ड्रायवर	1
5	मेसेन्जर	2
6	कम्प्यूटर लिटरेट स्टेनो	3
7	डीविजनल आसिस्टेन्ट	18
प्रोक्यूरमेन्ट डिविजन		
1	सहायक संचालक (प्रोक्यूरमेन्ट)	1
2	भण्डार अधिकारी	1
3	प्रोक्यूरमेन्ट आसिस्टेन्ट	2
फायनेन्स डिविजन		
1	संयुक्त संचालक (वित्त)	1
2	सहायक संचालक वित्त	1
3	फायनेन्स आसिटेन्ट/एकाउटेन्ट	6
4	परस्नल आसिस्टेन्ट	1

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्थाः

प्रदेश एवं जिला स्तर में समिति कार्यालय पर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है।

राज्य स्तर पर :

क्र.	नम	पदनाम	पता
1.	डॉ. एम गीता परियोजना संचालक	प्रथम अपीलीय अधिकारी	म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन भोपाल।
2.	श्रीमती सविता ठाकुर संयुक्त संचालक (आई.ई.सी.)	लोक सूचना अधिकारी	—तदैव
3.	श्री प्रशांत मेहता कार्मिक सहायक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	—तदैव

जिला स्तर पर :

क्र.	नाम	पदनाम	पता
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	समस्त जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश

समिति कार्यालय खुलने का समयः — प्रातः 10:30 बजे

कार्यालय बंद होने का समय — सांयः 05:30 बजे

बिन्दु क्र. 3– अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण :

क्र.	नाम एवं पदनाम	शक्तियॉ		कर्तव्य
		प्रशासकीय	वित्तीय	
1	डॉ. एम गीता परियोजना संचालक	समिति के अधीनस्थ अधिकार	वित्तीय अधिकार	नाको द्वारा निर्देशित एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन
2	डॉ. यू.सी. यादव, संयुक्त संचालक	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	–	परियोजना संचालक के मार्गदर्शन में कार्य संपादन
3	श्री प्रेम कुमार, सहायक सचांलक	एम.इ.ओ कार्यक्रम	–	–तदैव–
4	श्री व्ही.आर. निरगुड़कर, सहायक संचालक वित्त (पूर्व पदनाम वित्त अधिकारी)	वित्त	–	–तदैव–
5	श्री गौतम मुखर्जी, स्टेटेस्टिकल ऑफिसर	स्टेटेस्टिकल संबंधी कार्य	–	–तदैव–
6	श्रीमती सविता ठाकुर, उप संचालक	आई.ई.सी. संबंधी कार्य	–	–तदैव–
7	श्री प्रशांत मलैया, उप संचालक	कम्यूनिटी केयर सेंटर संबंधी कार्य	–	–तदैव–
8	श्रीमती सुनीला शर्मा राजा सलाहकार सी.एस.एम.	मेनस्ट्रिमिंग संबंधी कार्य	–	–तदैव–
9	श्रीमति मोनलसिंह, सलाहकार	वी.बी.डी. संबंधी कार्य	–	–तदैव–
10	सुश्री रजी फराज़ खान सहायक संचालक	आई.सी.टी.सी. संबंधी कार्य	–	–तदैव–
11				
12				

क्र.	नाम एवं पदनाम	शक्तियॉं		कर्तव्य
		प्रशासकीय	वित्तीय	
13	श्री दीपक सरकार, सलाहकार (यूथ अफेयर्स)	युवा मामले	–	–तदैव–
14	श्री नारायणदास आर्य क्वालिटी मेनेजर	रक्त सुरक्षा से संबंधित कार्य		–तदैव–
15	श्री राजीव पाण्डे क्वालिटी मेनेजर	रक्त सुरक्षा से संबंधित कार्य		–तदैव–
16	श्री प्रशांत मेहता, कार्मिक सहायक	प्रशासकीय कार्य	–	–तदैव–
17	श्रीमती अनिता शर्मा, लेखापाल	लेखा संबंधी कार्य	–	–तदैव–
18	श्री रजनीश दुबे, लेखा सहायक	वित्त सहायक	–	–तदैव–
19	श्री बी.एल.शर्मा, कम्प्यूटर लिटरेट स्टेनो	कैशियर	–	–तदैव–
20	श्रीमती अंकिता जैन, कार्मिक सहायक	रक्त सुरक्षा कार्य	–	–तदैव–
21	श्री प्रणेश वारिज कम्प्यूटर प्रोग्रामर	भण्डार संबंधी कार्य	–	–तदैव–
22	श्री पंकज पागे, प्रशासकीय सहायक	सी.एम.आई.एस.	–	–तदैव–
23	श्री अतुल त्रिपाठी,पर्सनल असिस्टेंट	लेखा संबंधी कार्य	–	–तदैव–
24				
25	श्री सुरेन्द्र रावत, डिविजनल असिस्टेंट	वित्त शाखा	–	–तदैव–
26	श्री कुंवरसिंह डावर, डिविजनल असिस्टेंट	निज सहायक, परियोजना संचालक		–तदैव–
27	श्री योगम्बर रावत डिविजनल असिस्टेंट	आई.ई.सी. संबंधित कार्य	–	–तदैव–
28	श्री सुनील शर्मा, डिविजनल असिस्टेंट	लिपिकीय कार्य		–तदैव–

क्र.	नाम एवं पदनाम	शक्तियाँ		कर्तव्य
		प्रशासकीय	वित्तीय	
29	श्री मुकेश कुमार जाटव डिविजनल असिस्टेंट	लिपिकीय कार्य		–तदैव–
30				
31	श्री चेतन चौरसिया डिविजनल असिस्टेंट	लिपिकीय कार्य		–तदैव–
32	श्री अजय शंकवार डिविजनल असिस्टेंट	लिपिकीय कार्य		–तदैव–
33	श्री भूपेन्द्रसिंह चौहान डिविजनल असिस्टेंट	लिपिकीय कार्य		–तदैव–
34				
35	श्री सुरजीत कुमार बडिवा डिविजनल असिस्टेंट	लिपिकीय कार्य		–तदैव–
36				
37	श्री शिवकुमार कहार डिविजनल असिस्टेंट	लिपिकीय कार्य		–तदैव–
38				
39				
40	श्री प्रदीप परदेसी ऑफिस असिस्टेंट	कम्प्यूटर संबंधी कार्य		–तदैव–
41	श्री के.पी. पिल्लई, वाहन चालक	–	–	–तदैव–
42	श्री कमलसिंह नरवरिया, भृत्य	–	–	–तदैव–

बिन्दु क्र. 4– पर्यवेक्षण का तरीका एवं जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया :

समिति द्वारा अधीनस्थ शाखाओं (जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों व अन्य संस्थाओं) के माध्यम से सभी कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाता है इसके लिए समिति के अधिकारियों द्वारा प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संचालन हेतु दौरा करके निरीक्षण एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाता है। कार्य संपादन के लिए तय किये गये लक्ष्य, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वित्तीय व्यय संपादन इत्यादि दौरा जिम्मेदारी तय की जाती है।

बिन्दु क्र. 5 – नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण :

नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श /भागीदारी का कोई प्रावधान है। लागू नहीं

नीति क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से /की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान है? लागू नहीं

बिन्दु क्र. 6– समिति कार्यालय में रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :

क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज के प्रकार जैसे रजिस्टर, किताब, डिस्केट आदि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विषय
1.	अधिकारी/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी	सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ति	स्थायी रिकार्ड
2.	अधिकारी/कर्मचारियों के लेखा संबंधित	जी.पी.एफ., वेतन एवं अन्य	स्थायी रिकार्ड एवं कम्प्युटरीकृत
3.	घटक आधारित दस्तावेज	फाईल, नोटशीट, आदेश आदि	स्थायी रिकार्ड
4.	अभियोजन से संबंधित	अभियोग पत्र एवं निर्णय	स्थायी रिकार्ड
5	सामान्य स्टोर से संबंधित	क्रय वितरण एवं स्टॉक का विवरण	स्थायी रिकार्ड
6	विधान सभा/लोक सभा / राज्य सभा से संबंधित	प्रश्न एवं उत्तर	स्थायी रिकार्ड एवं कम्प्युटरीकृत

बिन्दु क्र. 7– बोर्ड, परिषदों,समितियों एवं अन्य निकायों का विवरणः

समिति से संबद्ध निकायों का विवरण – लागू नहीं

बिन्दु क्र. 8– लोक प्राधिकरण का नाम :मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपालः

सहायक लोक सूचना अधिकारी–

क्र,सं,	नाम	पदनाम	STD Code	दूरभाष कार्यलय	आवास	फैक्स	ई–मेल एवं पता
1,	श्रीमती सविता ठाकुर	संयुक्त संचालक – आई.ई.सी.	0755	2570436	2416731	2556629	mpsacs@gmail.com म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

लोक सूचना अधिकारी–

क्र.सं,	नाम	पदनाम	STD Code	दूरभाष कार्यलय	आवास	फैक्स	ई–मेल एवं पता
1.	श्रीमती सविता ठाकुर	संयुक्त संचालक	0755	2570436	.	2556629	mpsacs@gmail.com म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

अपीलीय अधिकारी–

क्र.सं,	नाम	पदनाम	STD Code#	दूरभाष कार्यलय	आवास	फैक्स	ई–मेल एवं पता
1.	डॉ. एम गीता	परियोजना संचालक	0755	2559629		2556629	mpsacs@gmail.com म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

बिन्दु क्र. 9– समिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया :

संबंधिक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा फाईल/
नोटशीट प्रस्तुत करना

↓

प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा प्रत्येक फाईल/
नोटशीट का परीक्षण

↓

निर्णय लेने वाले अधिकारी/ वित्त अधिकारी/उपार्जन अधिकारी

↓

परियोजना संचालक

बिन्दु क्रमांक 10 – आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2010 – 2011 से

राशि रूपये लाखों में

क्र.	वर्ष	मद	स्वीकृत बजट	कुल व्यय
1.	2010 – 2011	तदैव	3679.63	1928.86
2.	2011 – 2012	तदैव	3819.50	2578.35
3.	2012 – 2013	तदैव	3565.88	828.24 8 नवंबर 2012 तक

बिन्दु क्रमांक 11 – कार्यक्रम एवं लाभार्थी – आपके विभाग द्वारा चलाई जाने वाली सब्सिडी कार्यक्रम की जानकारी

क्र.	कार्यक्रम का नाम	आवंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

बिन्दु क्रमांक 12 – आपके विभाग द्वारा दिए जाने वाले परमिट, रियायतें और अधिकार प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

क्र.	परमिट / रियायतों का विवरण	परमिट/रियायतें पाने वाले व्यक्तियों का विवरण (नाम, पता	रियायत की राशि / अनुमानित राशि

		आदि)	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

बिन्दु क्र.13– कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक नियम :

प्रदेश में एच.आई.वी. जांच की सुविधा उच्च जोखिम समूहों के साथ ही जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्रों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा वी.सी.टी.सी. का नाम परिवर्तित कर आई.सी.टी.सी. अर्थात एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र किया गया है। इन केन्द्रों के सफल संचालन हेतु निम्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :–

- **<u>परामर्श प्रक्रिया</u>**
  - एच.आई.वी./एड्स रोग के सन्दर्भ में परामर्श प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एच.आई.वी./एड्स परामर्श की मानकीकृत प्रक्रिया के विभिन्न चरण है, जिनका पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें ये चरण निम्न है :–
    - ✓ एच.आई.वी./एड्स परामर्श या जांच कराने आने वाले रोगी /व्यक्ति को सीधे परामर्शदाता के पास भेजा जावे। रोगी /व्यक्ति रेफर होकर आया हो अथवा वह स्वयं स्वैच्छिक रूप से आया हो उसे नोडल अधिकारी/ आई.सी.टी.सी.प्रभारी के पास पहले भेजने की आवश्यकता नही है।
    - ✓ **<u>जांच पूर्व परामर्श</u>** :–एच.आई.वी./एड्स की जांच कराने आने वाले प्रत्येक रोगी /व्यक्ति को जांच पूर्व परामर्श दिया जाना अनिवार्य है,इस प्रक्रिया में संबंधित को एच.आई.वी./एड्स रोग संबंधी जानकारी,कारण,लक्षणों,बचाव,परामर्श एवं परीक्षण प्रक्रिया, परीक्षण परिणामों के अर्थ के संबंध में विस्तार से अवगत कराया जाता है। प्रत्येक रोगी /व्यक्ति द्वारा दी गयी जानकारी की गोपनीयता रखा जाना अनिवार्य है।
    - ✓ **<u>जांच पश्चात परामर्श</u>** :–एच.आई.वी./एड्स जांच के **सहमति पत्र** पर हस्ताक्षर के पश्चात ही संबंधित रोगी /व्यक्ति की एच.आई.वी.जांच की जाये,जांच उपरांत रोगी /व्यक्ति को परिणाम बताने के साथ जांच पश्चात परामर्श प्रदान किया जायें, जांच पश्चात परामर्श के अंतर्गत एच.

आई.वी.जांच के परिणामों,भविष्य की योजनाओं,रेफरल सेवाओ एवं लिंकेजेज,सहयोगी तंत्र आदि पर चर्चा की जाये।

- ✓ **अनुसरण :–**अनुसरण (फालोअप) में रोगी /व्यक्ति को समय–समय पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराना,साथ ही रोगी /व्यक्ति के परिजनो,मित्रो को उसकी सहायता/देखभाल के संबंध में जानकारी प्रदान करना है।

- **जांच प्रकिया**

  - ✓ एच.आई.वी./एड्स जांच के पूर्व रोगी /व्यक्ति को पूर्णतः अवगत कराकर लिखित सहमति लेना अनिवार्य है।
  - ✓ यदि रोगी /व्यक्ति की बिना लिखित सहमति के एच.आई.वी./एड्स जांच हेतु रक्त नमुनें (ब्लड सेंपल) लेकर जांच की जाती है तो इस स्थिति में रोगी /व्यक्ति द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
  - ✓ एच.आई.वी./एड्स जांच के परिणाम को प्रशिक्षित माइक्रोबायलॉजिस्ट/ पेथोलॉजिस्ट के द्वारा सत्यापित कर केवल परामर्शदाताओं के माध्यम से रोगी /व्यक्ति को दी जायेगी न कि सीधे रोगी /व्यक्ति को।
  - ✓ एच.आई.वी./एड्स जांच संबंधी समस्त दस्तावेजो में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा एवं रोगी /व्यक्ति के नाम के स्थान पर केवल पी.आई.डी. नंबर का प्रयोग किया जाएगा।
  - ✓ एच.आई.वी.धनात्मक या ऋणात्मक परिणामों की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का रंग,स्याही,कागज या अन्य आधार पर विभेदन नही किया जाएगा।

- **एच.आई.वी.जांच प्रकिया**

  - ➢ एच.आई.वी.रेपिड परीक्षण हेतु तीन अलग–अलग एंटीजन/प्रिंसीपल की परीक्षण किट का प्रयोग किया जाता है।
  - ➢ यदि प्रथम रेपिड किट से जांच में परिणाम सेरो निगेटिव है तो क्लाइंट को निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है एवं सेम्पल की आगे जांच की आवश्यकता नही है।
  - ➢ यदि प्रथम रेपिड किट से जांच में परिणाम सीरो पॉजिटिव है तो सेम्पल की आगे दो अलग–अलग एंटीजन की परीक्षण किटों (कुल 3 किट)से जांच की जाती है यदि तीनों रेपिड परीक्षण किटों के परिणाम सीरो पॉजिटिव है तो क्लाइट को पाजिटिव टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है एवं सेम्पल को आगे पुष्टिकरण के लिए रेफरल

सेन्टर भेजने की आवश्यकता नहीं होती है यह टेस्ट रिपोर्ट परीक्षण पश्चा्त परामर्श के उपरांत क्लाइन्ट को प्रदान की जावे।

- यदि प्रथम रैपिड किट परीक्षण में सेम्पल सीरो पॉजिटिव है किन्तु आगे के दो अलग –अलग ऐन्टीजन की परीक्षण किटों से की गई जांच में सेम्पल सीरो निगेटिव है या किसी एक किट में सेम्पल सीरो निगेटिव आता है तो ऐसे परिणाम को अनिर्धारित (इनडिटरमिनेन्ट) की श्रेणी में रखा जावे ।
- यदि क्लाइन्ट का व्यवहार एच. आई. वी. के संदर्भ में जोखिम युक्त नहीं है तो ऐसे क्लाइन्ट को इनडिटरमिनेन्ट परिणाम आने पर निगेटिव रिपोर्ट दी जावे ।
- यदि क्लाइन्ट पिछले तीन माह में एच. आई. वी. वायरस से एक्सपोज्ड हुआ हो तो ऐसे क्लाइन्ट को चार से छः सप्ताह पश्चा्त पुनः रक्त परीक्षण हेतु बुलाया जावे ।
- यदि क्लाइन्ट के दुबारा रक्त परीक्षण में परिणाम इनडिटरमिनेन्ट है तो ऐसे रक्त नमूने (सेम्पल) के सीरम को पुष्टिकरण हेतु रेफरल लेबोरेटरी भेजा जावे (संबंद्ध चिकित्सा महाविद्यालय/आर.एम.आर.सी./सी.एच.आर.सी.) यदि रेफरल लेबोरेटरी में भी परिणाम इनडिटरमिनेन्ट हो तो क्लाइन्ट को (3/6/12 माह) पश्चा्त पुनः रक्त परीक्षण हेतु बुलाया जावे ।
- यदि 12 माह (एक वर्ष) पश्चा्त भी सेम्पल का परिणाम इनडिटरमिनेन्ट हो तो क्लाइन्ट को एच. आई. वी. ऐन्टीबाडी निगेटिव मान कर निगेटिव की रिपोर्ट प्रदान की जावे।

- **<u>लिंकेजेस एवं रैफरल (आई.सी.टी.सी.. में रैफर करने के लिए एवं आई.सी.टी.सी. से रैफर करने के लिए</u> :–**
  - लिंकेजेस एवं रैफरल के लिए परामर्शदाताओं एवं लैब तकनीशियन के स्तर से कार्यवाही की जावे।
  - आई.सी.टी.सी. में आने वाले सभी क्लाइंट्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार रैफरल सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराई जाए।
  - क्लाइंट्स को निर्धारित सेवाएं प्रदान करने के लिए आई.सी.टी.सी. को लिंक केन्द्र से जोड़ा गया है जो निम्न हैः–

- ✓ पी.एल.एच.ए. नेटवर्क :–स्थानीय पी.एल.एच.ए. नेटवर्क से समन्वय कर एच.आई. वी. धनात्मक व्यक्तियों के सतत संपर्क में रहकर उन्हें आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन एवं देखभाल संबंधी जानकारियॉ / सलाह प्रदान करें।

- ✓ एस.टी.डी. क्लीनिक – एस.टी.डी. क्लीनिक आने वाले सभी यौंन रोगियों को आई. सी.टी.सी. एवं आई.सी.टी.सी. में आने वाले यौंन रोगियों को एस.टी.डी. क्लीनिंक में रैफर कराने हेतु संबंधित चिकित्सकों के साथ समन्वय किया जाय।

- ✓ टी.बी. क्लीनिक (आर.एन.टी.सी.पी.) :– ऐसे सभी टी.बी. के रोगी जो मल्टी ड्रग रजिस्टेंट (एम.डी.आर.) है या रिलेप्स केसेज है उन्हें आई.सी.टी.सी. में रैफर हेतु डी.टी.ओ. एवं आई.सी.टी.सी. में आने वाले टी.बी. रोगियों को टी.बी. क्लीनिंक में रैफर करने हेतु डी.टी.ओ. के साथ समन्वय किया जाए।

- ✓ एन्टीनेटल क्लीनिक :– समस्त गर्भवती महिलाएं, जो उच्च जोखिम वर्ग में आती है उन्हें आई.सी.टी.सी. में रैफर हेतु ए.एन.सी. प्रभारी से समन्वय किया जाए।

- ✓ रक्त कोष :– चिकित्सालय स्थित रक्तकोष से समन्वय कर रक्तदाताओं से रक्तदान के पूर्व स्वैच्छिक सहमति पत्र भरवाने हेतु रक्तकोष अधिकारी से अनुरोध करें एवं ऐसे रक्तदाता जिनका एच.आई.वी. स्टेट्स धनात्मक है उन्हें आई.सी.टी. सी. में रैफर करने हेतु भी रक्तकोष अधिकारी से अनुरोध करें।

- ✓ चिकित्सालय के अन्य चिकित्सकः– चिकित्सालय की ओ.पी.डी. के चिकित्सको से समन्वय कर उन्हें संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी.टी.सी में रैफर करने हेतु प्रोत्साहित करें।

- ✓ अन्य चिकित्सालयों से समन्वयः– जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रभारियों से समन्वय कर संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी. टी.सी में रैफर करवाएं, इसके साथ ही जिले के अन्य निजी चिकित्सालयों से भी संपर्क कर उनके यहा भर्ती होने वाले या उपचार कराने वाले एच.आई.वी. संभावितों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करने हेतु प्रोत्साहित करें, साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्हें चिकित्सकीय उपचार एवं अन्य सहायता की आवश्यकता है उन्हें आई.सी.टी.सी. से निकटतम संबंधित चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य उपचार केन्द्रों पर रैफर किया जाए।

- ✓ आर.सी.एच. कार्यक्रमः– आर.सी.एच.कार्यक्रम के जिला परियोजना प्रबंधक के साथ समन्वय कर आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों से यौंन रोगियों, संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करवाएं एवं यदि संभव हो सके तो इन शिविरों में सहभागिता भी करें।
- ✓ अशासकीय संगठनों से समन्वयः–जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संगठनों, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं से संभावित एच.आई.वी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में रैफर करने हेतु समन्वय करें।

बिन्दु क्र.14– **आपके** विभाग में जो सूचना इलेक्ट्रानिक तरीके से उपलब्ध है उसका विवरण

क्र.	सूचना का विवरण	किस तरीके (मई पजमए ब्व) इत्यादि उपलब्ध है	हार्ड कॉपी के रूप में
1	वेबसाईट mpsacs@ gmail.com	वेबसाईट	पूर्व में उल्लेखित

बिन्दु क्र.15– सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण–

सूचनाओं को जगह तक पहुँचाने के लिए समिति कार्यालय में पुस्तकालय, सूचना पटल, अभिलेख, दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था एवं समिति की बेबसाईट व प्रचार–प्रसार सामग्री उपलब्ध है।

बिन्दु क्र.16– **लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वा**रा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर आदि का विवरण –

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत निर्धारित परिपत्र–1 या सादे कागज पर आवेदन के साथ रूपये 10/– नगद/नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत करने पर निर्धारित समय–सीमा 30 दिवस के अंदर जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। चाही गई जानकारी ए–4 साईज पेपर पर छायाप्रति प्रति पृष्ठ 2/– रूपये एवं ए–3 साईज पर छायाप्रति प्रति पृष्ठ –4/–

रूपये एवं कम्प्यूटर टाईप्ड/हस्तलिखित प्रति पृष्ठ रूपये 10/– शुल्क देय होगी। परिपत्र संलग्न।

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी का विवरण :–

नाम	–	श्रीमती सविता ठाकुर,
पद	–	संयुक्त संचालक – आई.ई.सी
दूरभाष क्र.	–	0755– 2570436
ई.मेल	–	mpsacs@gmail.com
कार्यालय का पता	–	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 1, अरेरा हिल्स, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
संपर्क समय	–	प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक

जनता को सूचना प्रदान करने संबंधी अन्य कोई विवरण –

सूचना का अधिकारी संबंधी सूचना पटल कार्यालय के स्वागत कक्ष पर प्रदर्शित है।

संलग्नक :– प्रपत्र एक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 6

(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1.	आवेदक का नाम	:	————————————
2.	पूरा पता/ई–मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है	:	————————————
3.	दूरभाष क्र.	:	————————————
4.	आवेदन देने का दिनांक	:	————————————
5.	कार्यालय का नाम	:	————————————
6.	चाही गई जानकारी का नाम	:	————————————
7.	क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नमूना।	:	————————————
9.	आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी–रूपये 10/– नगद/स्टाम्प (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. ..... एवं दिनांक	:	————————————
10.	क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं	हां/नहीं	:————————————
	यदि हां तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक	:	————————————

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

टीपः यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10/– का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती

1.	आवेदन प्राप्त होने का दिनांक	:	————————————
2.	आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक	:	————————————
3.	संबंधित शाखा/अधिकारी जहॉ से जानकारी उपलब्ध होगी	:	————————————

(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम (रबर सील)